

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –2069 / 2014 / अजमेर

श्रीमती हेमलता जैन पत्नी श्री पवन कुमार जैन
निवासी 241 / 23, बाजेवाली गली, केसरगंज, अजमेर
बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, वृत अजमेर
उप पंजीयक, अजमेर (द्वितीय)

.....प्रार्थीया.

.....अप्रार्थी.

एकलपीठ राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अभिषेक अजमेरा

अभिभाषक।

श्री जमील जई

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रार्थी की ओर से

.....अप्रार्थी की ओर से

दिनांक : 28.05.2018

निर्णय

- प्रार्थीया द्वारा उक्त निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर (जिसे आगे "अधीनस्थ न्यायालय" कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण सं. 666 / 2010 में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2012 के विरुद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा-65 के तहत प्रस्तुत किया गया।
- उक्त प्रकरण के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.04.2010 को प्रार्थीया केता हेमलता जैन ने विकेता श्री बृजेश कुमार अग्रवाल व श्रीमती अवधेष अग्रवाल, अजमेर से एक कृषि भूमि 6,75,000/- रुपये में क्य की। उप पंजीयक द्वारा प्रश्नगत भूमि कमी मालियत पर पंजीबद्ध होना मानते हुए रेफरेन्स कलेक्टर (मुद्रांक), अजमेर के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज 6,75,000/- रुपये के स्थान पर 20,16,000/- रुपये का मानते हुए कमी 80,640/- रुपये मुद्रांक कर व 20,160/- रुपये पंजीयन शुल्क आरोपित किये प्रार्थीया द्वारा 27,000/- रुपये मुद्रांक कर व 6,750/- रुपये पंजीयन शुल्क पूर्व में जमा करा दिये गये थे। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इससे कम मानते हुए अन्तर मुद्रांक कर राशि 53,640/- रुपये एवं पंजीयन शुल्क 13,410/- तथा शास्ति 950/- रुपये कुल मांग राशि 68000/- रुपये आरोपित किये। प्रार्थीया द्वारा अन्तर राशि जमा न करने पर उप पंजीयक द्वारा प्रार्थीया को दिनांक 07.10.2014 को कुर्की का नोटिस जारी किया। उक्त अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.08.2012 से व्यक्ति होकर प्रार्थीया द्वारा उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी। निगरानी पेश करने में कोई विलम्ब बावत् मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी संलग्न किया गया।
- उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।
- प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थीया केता एवं विकेता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

लगातार.....2.

जारी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुए है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस नोटिस को तामील मानते हुए Non Speaking एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पक्षकारों को नोटिस जारी करके तामील करवाया जाना अनिवार्य है, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपने न्यायिक दृष्टांत 1990 आर.आर.डी. 503 में निर्णित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की सम्पूर्ण विचेचना व विश्लेषण करते हुए विस्तृत आदेश पारित किया जाना चाहिये था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा Non Speaking आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में यह विवेचन नहीं किया गया है कि किस आधार पर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है, इस प्रकार किसी आधार के आभाव में मनमाने तरीके से पारित किया गया अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत नहीं है। मियाद के संबंध में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब बाबत समस्त व उचित कारणों को उल्लेख कर दिया गया है। अतः निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाये। अपने उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त कर उक्त निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर द्वारा परित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि कलेक्टर द्वारा प्रकरण को निर्णित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया इसके उपरान्त भी पक्षकारों के अनुपस्थित रहने पर निर्णय पारित किया गया। कलेक्टर द्वारा विधिक तथ्यों एवं प्रकरणों के बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया गया, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्व के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
7. उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मान अध्ययन किया गया।
8. प्रार्थीया निगरानीकर्ता की ओर से मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को उसमें वर्णित आधार संतोषजनक होने से इनका निर्णय गुणावगुण पर करना श्रेयस्कर होगा। अतः उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जा रहा है।

लगातार.....3.

9. प्रार्थीया निगरानीकर्ता द्वारा विक्य पत्र पंजीबद्ध कराने के पश्चात उपपंजीयक द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को कमी मुद्रांक पर पंजीबद्ध होना माना जाकर अन्तर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क जमा कराने का नोटिस पक्षकारों को जारी किया गया। पक्षकारों द्वारा अन्तर कर जमा नहीं कराने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 51(4) के तहत रेफरेन्स पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को अनुपस्थित मानते हुए एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया।
10. पत्रावली के साथ उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ताओं के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेफरेन्स के अनुसार सम्पत्ति की मालियत निर्धारित कर इस पर देय कमी मुद्रांक/पंजीयन शुल्क व शास्ति की राशि सूजित करते हुये निगरानी अधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है। इस आदेश में यह विवेचन नहीं किया गया है कि किस आधार पर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि कलेक्टर को आदेश में युक्तिसंगत आधार अंकित करते हुये अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। इस प्रकार युक्तिसुगत/विधिसम्मत आधार के आभाव में मनमाने तरीके से पारित किया गया कलेक्टर के आदेश को विधिसम्मत आदेश की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। राजस्व का कथन है कि निगरानिकर्ता बावजूद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। प्रथम तो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थीया की तामीलशुदा नोटिस संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को आदेशिका के अनुसार केता एवं विकेता दोनों को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए थे किन्तु विकेता ब्रिजेश कुमार अग्रवाल को जारी नोटिस की प्रति एवं पोस्टल रसीद संलग्न है किन्तु प्रार्थीया को जारी नोटिस की प्रति एवं पोस्टल रसीद पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को जारी नोटिस की तामील नहीं मानी जा सकती है। एक क्षण के लिये तर्क के रूप में यह मान भी ले कि प्रार्थीया को नोटिस की तामील हो गयी थी तब भी राजस्व को अपना मामला स्वयं साबित करना था। वह प्रतिपक्षी की किसी कमजोरी का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। आक्षेपित आदेश दिनांक 06.08.2012 में रेफरेंस को स्वीकार करने का कोई आधार उल्लेखित नहीं किया गया है। प्रतिपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होना रेफरेन्स को स्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता।
11. अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 06.08.2012 द्वारा रेफरेंस के तथ्यों को स्वीकार किया है किन्तु रेफरेंस के आधारों की राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अनुसार न तो जांच की गई न ही अपने आदेश में रेफरेंस के आधारों के सम्बंध में तथ्यों की कोई विवेचना की गई। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में तर्क,

लगातार.....4.

कारण व विवेचना का अभाव रहा है। अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरांत ही उन्हें स्वीकार करने व न करने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करना चाहिए था। जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर सम्बंधित न्यायालय अपना निर्णय पारित कर सकेगी कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायसंगत है अथवा नहीं किन्तु वर्तमान निगरानी प्रार्थना-पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वकर्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स शुकला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :—

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regular hearing."

"A litigant has legitimate expectation of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretion by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the significance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appear to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system."

12. चुंकि कलेक्टर द्वारा रेफरेन्स पर निर्णय करने से पूर्व राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 65(2) के अनुसार केता/विक्रेतागण को नोटिस जारी कर तामील करवाये जाने आवश्यक है। किन्तु वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीया केता को नोटिस तामील हुआ हो ऐसी कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है। अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रार्थी केता व अप्रार्थी विक्रेता का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस प्रकार नियम 65(2) के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ

लगातार.....5.

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा Non Speaking एवं Non Reasoned आदेश पारित किये गये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2012 अपास्त किये जाने योग्य है तथा उक्त प्रकरण राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में विस्तृत जांच कर पुनः विधिनुसार गुणावगुण पर आदेश पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

13. परिणामस्वरूप प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) अजमेर का आदेश दिनांक 06.08.2012 को अपास्त किया जाता है। उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक) वृत्त-अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की अनुपालना करते हुए पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करें तथा पक्षकारों को यह आदेश दिये जाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2018 को सुनवाई हेतु उपस्थित हों।
14. निर्णय सुनाया गया।

*मम
२४/०५/१८*
(राजीव चौधरी)
सदस्य